संख्या : 544/चौवालिस–2-102/89

प्रेषक,

श्री आर० रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त विकास प्राधिकरणोके उपाध्यक्ष

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 1990

विषय :– दिवाली और नये वर्ष के अवसर पर कार्ड आदि छपाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्राधिकरणों में प्रतिवर्ष दिवाली और नये वर्ष के अवसर पर प्राधिकरण के खर्चे से बधाई पत्र आदि छपाये जाते हैं। विकास प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह प्रवृत्ति उचित नहीं है।

2. अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उद्यमों/ निगमों पर नियंत्रण अधिनियम 1975 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 41/1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देते हैं कि प्राधिकरणों में किसी प्रकार के बधायी पत्र आदि न छपाये जायं।

भवदीय,
[आर० रमणी]
सचिव।

संख्या 833/चौवालिस–2-102/89 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, नगर विकाश विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) नगर विकास अनुभाग–5
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1

आज्ञा से,
[आर० एन० सिन्हा]
अनुसचिव।